



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP01126897921309V

e-Stamp

Signature: [Signature]
 Lt. Name: RAVI KAN MISHRA
 Lic. Code: UP14444404
 Add: Bandra Sadar Pratapgarh
 Mob. 9007463165
 Add: Pratapgarh PIN-2311701

Certificate No. : IN-UP01126897921309V
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 05:01 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14444404/ PRATAPGARH SADAR/ UP-PTG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1444440497827860537763V
 Purchased by : SUMAN SINGH MEMORIAL EDUCATION SOCIETY PRATAPGARH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SUMAN SINGH MEMORIAL EDUCATION SOCIETY PRATAPGARH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : SUMAN SINGH MEMORIAL EDUCATION SOCIETY PRATAPGARH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



प्रारूप-अ



सत्र 2023-24 में वेपस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम डा० रामाश्रय सिंह (अध्यक्ष) एवं श्रीमती अंजना सिंह (सचिव) सोसायटी - सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी ग्रा०/पो०- बहुचरा प्रतापगढ..(उ०प्र०) शपथपूर्वक बयान करते है-

1. यह कि हमारी सोसाइटी- सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी ग्रा०/पो०-बहुचरा प्रतापगढ.(उ०प्र०)। द्वारा संचालित संस्था अंजना कॉलेज ऑफ फार्मसी, सकरौली, मादूपुर, रानीगंज अजगरा प्रतापगढ उ०प्र० हैं।
 2. यह कि हमारी सोसाइटी - सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी ग्रा०/पो० बहुचरा जनपद प्रतापगढ. में गाटा संख्या 653,661,662(क) एवं रकबा कमशः 0.150 ,0.013 ,0.681 (.844 हेक्टेयर)भूमि है।
 3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
 4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 653,661,662(क) रकबा कमशः 0.150 ,0.013 ,0.681, (.844 हेक्टेयर)भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।



6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

सचिव



203

ह० अध्यक्ष

Kanwar Singh